

1/4/20

कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने एवं मा. राजस्व
मण्डल अजमेर से प्राप्त निर्देशानुसार
लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित
रखे जाने के कारण पत्रावली दिनांक 29/7/20
को पेश हो।

28/7/20

पत्रावली प्रस्तुत हुई, अभी वादी पतिवादी उपस्थिति
पीठासीन अधिकारी अ. राजस्व मण्डल अजमेर पधार है।
पत्रावली वास्ते 1/9/20 आयन्दा दिनांक 29/9/20
को पेश हो।

29/9/20

पत्रावली प्रस्तुत हुई, अभी वादी पतिवादी उपस्थिति
पीठासीन अधिकारी अ. राजस्व मण्डल अजमेर पधार है।
पत्रावली वास्ते 1/9/20 आयन्दा दिनांक 9/11/20
को पेश हो।

9/11/20

पत्रावली प्रस्तुत हुई, अभी वादी पतिवादी उपस्थिति
पीठासीन अधिकारी अ. राजस्व मण्डल अजमेर पधार है।
पत्रावली वास्ते 1/9/20 आयन्दा दिनांक 18/11/21
को पेश हो।

18/1/21

पत्रावली प्रस्तुत हुई, अभी वादी पतिवादी उपस्थिति
पीठासीन अधिकारी अ. राजस्व मण्डल अजमेर पधार है।
पत्रावली वास्ते 1/9/20 आयन्दा दिनांक 26/4/21
को पेश हो।

26/04/21

कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने एवं मा. राजस्व
मण्डल अजमेर से प्राप्त निर्देशानुसार
लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित
रखे जाने के कारण पत्रावली दिनांक 29/06/21
को पेश हो।

22/6/21

पत्रावली आगे आधिकारिक वाडिया व वाडिया के
पार्थिव पत्र कले (उ पेश) (उ) वाडिया ने स्वयं मंड-
रसम पेश होकर पार्थिव पत्र पेश कर भ्रम भाग
इस वाद पत्र में को आगे कोश करम वाही नहीं किया
चाहती है वाडिया से रहना लिखे गये पत्रावली
आधिकारिक वाडिया से कवायद गयी अतः वाद पत्र रतन
कुमार लिखार 188 RTI इती रिज प (रवाडिया किम)
जाता है पत्रावली को हल शुभा होकर नम (मेकम हो)

अ. राजस्व मण्डल अजमेर